

राजस्थान राज-पत्र RAJASTHAN GAZETTE विशेषांक

Extraordinary

साधिकार प्रकाशित है। Published by Authority

चैत्र 19, सोमवार, शाके 1940-अप्रेल 9, 2018 Chaitra 19, Monday, Saka 1940-April 9, 2018

भाग 4 (ग) उप—खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

एकी हिन्सी राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कि Author अधिसूचना क्रोणक तार्रणाव

प्याञ्चना करित कालाम जयपुर, मार्च 28, 2018क पिल्लाह by एस.ओ.14 :- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्या 39) की धारा 29 (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 के विनियमों में निम्नलिखित

. 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-- (1) इन विनियमों का नाम राजस्थान ण्जार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2018 है।

क रा (2) ये इनके राज-पत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे। होएं हा हिल्मिन प्रश्न हाएं के ह स्थानी कि

2. विनियम 41 (1) का संशोधन इस प्रकार है : नाशह तरहार राज, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 के विनियम 41(1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तः स्थापित किया कार्यमार्गार्थमार्गार्थमार्गार के तीव कि श्रीकार कर कारीकाह एक

्परंतु थह कि 10,000 / → रू. प्रतिमाह तक के समुस्त लिया लघुव्यय पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और यथास्थिति पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर द्वारा अपने स्तर पर अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक स्रुवा समिति, जोधपुर/जयपुर के अनुमोदन के बिना, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विहित मदों के अनुसार (4(ग) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,) की निधि से किये जायेंगे।

3. विनियम 13 के उपविनियम 3 का संशोधन :- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 के विनियम 13 के विद्यमान KUTTATATITATA

Stot St Arett ingiel

उप् विनियम् 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया। जायेगा, अर्थात् :--

, राजकात्म आनुसंगिक लुघु व्यय जैसे कि, न्यायालय फीस, स्टाम्प, दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यय एवं आकस्मिक व्यय इत्यादि की पूर्ति करने के प्रयोजनार्थ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की लागत निधि में से 10,000/- रू. का स्थायी अग्रिम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव के नियंत्रणाधीन रखा जायेगा।

4. विनियम् ८ क्रे उपविनियम् ३ का संशोधन् :- राजस्थान् राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 के विनियम 8 के विद्यमान उपविनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :--

आनुसंगिक लघु व्यय जैसे कि, न्यायालय फीस, स्टाम्प, दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यय एवं आक्रिसक व्यय इत्यादि की पूर्ति करने के प्रयोजनार्थ, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर की लागत निधि में से 10,000/- रू. का स्थायी अग्रिम राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर के पूर्णकालिक सचिव के नियंत्रणाधीन रखा जायेगा। जार ग्रीह हो। जारी है।

5. विनियम 17 के उपविनियम 3ं का संशोधन— राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 के विनियम 17 के उपविनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् := शक्स १४३ लगाहाः वि

आनुसंगिक लुघु व्यय जैसे कि न्यायालय फीस, स्टाम्प और दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यय एवं आकस्मिक व्यय इत्यादि की पूर्ति के प्रयोजनार्थ तालुका विधिक सेवा समिति की लागत निधि में से 5,000/- रू. का स्थायी अग्रिम अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति के नियंत्रणाधीन रखा जायेगा। ह नाहरूकार क्रिकीय कार्नाक्रोण कील्लाका MUNE TRAPE SERVE SAME TARE VIOLE VOLUME SERVICE TON

माध्याप्त । व्याप्त विकास विकास प्रति । प्रकाशास्त्री स्वर्वित एसा के प्रमुख के प्रमुख एसा के जैन बाता (म))) राष्ट्रपट के किस कर्मण पात गणकाती ए सवस्य सचिव, व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण,

प्रदेश स्वार्थन्त्र के हम स्वार्थन के हम स्वार्थन स्वार्थन स्वार्थन स्वार्थन स्वार्थन स्वार्थन स्वार्थन स्वार्थन RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY NOTIFICATION . Jaipur, March 28, 2018

11(3) S.O.14 .- The Rajasthan State Legal Services Authority, in exercise of the powers conferred on it under section 29-A of the Legal Services Authority Act, 1987 (Act No. 39 of 1987) hereby makes the following amendments in the regulations in Rajasthan State Legal Services Authority Regulations, 1999, namely:-

1. Short title & commencement:- (1) These regulations may be called the Rajasthan State Legal Services Authority (Amendment) Regulations, 2018, animmo soorvas

(2) They shall be deemed to have come into force from the date of publication in the Official Gazette.

Amendment of Regulation 41(1) as follows:- After Regulation 41(1) of Rajasthan State Legal Services Authority Regulations] 1999 the following proviso shall be inserted:- guita-majo seromin seu ser

Provided that, all the minor expenditures, up to ten thousands rupees per month, shall be met out from the fund of 4 C (Legal Services Authorities Act) in accordance to the heads prescribed by National Legal Services Authority by the Full Time Secretary, District Legal Services Authority and Full Time Secretary, Rajasthan High Court Legal Services Committee, Jodhpur/ Jaipur at his/ her own level as the case may be without the approval of the Chairman, District Legal Services Authority and Chairman, Rajasthan High Court Legal Services Committee, Jodhpur/

Amendment of sub-Regulation 3 of regulation 13:- The existing sub-regulation 3 of regulation 13 of the Rajasthan * State Legal Services Authority Regulation, 1999 shall be substituted by the following, namely:-

(3) For the purpose of meeting incidental minor expenditures such as court fee, stamps and expenditures necessary for obtaining copies of documents & contingent expenditures etc. a permanent advance of rupees ten thousand from cost fund of District Legal Services Authority shall be placed at the disposal of the Full Time Secretary of the District Legal Services Authority.

Amendment of sub-Regulation 3 of regulation 8:- The existing sub-regulation 3 of regulation 8 of the Rajasthan State Legal Services Authority Regulation, 1999 shall be substituted by the following, namely:-

- (3) For the purpose of meeting incidental minor expenditures such as court fee, stamps and expenditures necessary for obtaining copies of documents & contingent expenditures etc. a permanent advance of rupees ten thousand from cost fund of Rajasthan High Court Legal Services Committee shall be placed at the disposal of the Full Time Secretary of Rajasthan High Court Legal Services Committee, Jodhpur/ Jaipur. (Insarbnom A)
 - (2) They shall be deened to have come lose to 5. Amendment of sub-Regulation 3 of regulation 17:- The existing sub-regulation 3 of regulation 17 of the Rajasthan State Legal Services Authority Regulation, 1999 shall be substituted by the following, namely: 1998 vinibility A
- (3) For the purpose of meeting incidental minor expenditures such as court fee, stamps and expenditures necessary for obtaining copies of documents & contingent expenditures etc. a permanent advance of rupees five thousand from cost fund of Taluka Legal Services Committee shall be placed at the disposal of the Chairman, Taluka Legal Services Committee. 101 bas virodius two sale late in the many of the first of the bar has own

Excreça of modeling of vant tass By Order, osorosid I bus viriodin' abbivist 1695 i ipate S.K. Jain, d Member Secretary, Rajasthan State, Legal Services Authority, Jaipur. existing with the plant of the control of the control State Legal and Authorn Republic, some in a

commission that purpose of meeting analytical set (£) Government Central Press, Jaipur. Basque coversary for obtaining copies of documents & contingent

Secretary of the District Logal Services Authority

expendinges, char a permanent advance of rureds are chousened from past to be first term beginning bearing Authority shall be placed at the disposal of the Pull Tiesq

Amendment of sub-Regulation 3 of regulation 3: The existing sub-regulation. 3 of regulation 8 pt. the Remarks State Legal Services Authority Regulated 1909 shall

Periomen (spanish) of Auren Schulledie

substituted by the tot gaves, sums